भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 518
दिनांक 25.06.2019/4 आषाढ़, 1941 (शक) को उत्तर के लिए

गवाहों को संरक्षण देना

†518. श्री असादुद्दीन ओवैसीः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने संघ के साथ-साथ राज्य सरकारों को भी निर्देश दिया है कि उन गवाहों को चैबीस-घंटे पुलिस संरक्षण उपलब्ध कराया जाए जिन्हें जघन्य आपराधिक कृत्यों के आरोपितों के विरुद्ध गवाही देने के कारण धमकियां मिलती हैं और जो अपनी पहचान छुपाना चाहते हैं;
(ख) यदि हां, तो क्या राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (एनएलएसए) और ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के परामर्श से गवाह संरक्षण योजना बनाई गई है;
(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में राज्यों के परामर्श से प्रक्रिया शुरू की है;
(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का राज्यों के लिए गवाहों को ऐसा संरक्षण प्रदान करना अनिवार्य बनाने के लिए एक कानून लाने का विचार है; और
(ङ) यदि हां, तो उक्त कानून के कब तक अधिनियमित होने की संभावना है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानंद राय)

(क) से (घ): गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो और राज्य सरकारों के साथ विचार-विमर्श करके एक “गवाह संरक्षण योजना, 2018” तैयार की है। इस स्कीम के अंतर्गत खतरे के आकलन के आधार पर गवाहों की सुरक्षा किए जाने का प्रावधान है। भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2016 की रिट याचिका (दांडिक) संख्या 156 में अपने दिनांक 05.12.2018 के निर्णय में इस योजना की पुष्टि की है। संविधान के अनुच्छेद 141/142 के तहत माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुमोदित गवाह संरक्षण योजना, 2018 भारत के सभी न्यायालयों तथा सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के लिए बाध्यकारी है।

*****